म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक/बी–6/नियमन/1531 भोपाल,दिनांक : 19/03/2019

प्रति,

श्री ए.एन. सिद्धिकी,
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी,
सी–विंग, विन्द्याचल भवन, भोपाल.

विषयः–कृषि उपज मंडियों में एकल लायसेंस की व्यवस्था बावत्।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान में कृषि उपज मंडियों में एकल लायसेंस की व्यवस्था अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी/संस्था/प्रोसेसर, जो मंडियों के लिए एकल लायसेंस प्राप्त करना चाहता है, उसको लायसेंस हेतु निम्न कार्यवाही करनी पड़ती है :–

1– प्रत्येक स्थान पर न्यूनतम खरीदी मात्रा की गारंटी।

2– प्रत्येक स्थान के लिए प्रतिभूति की निर्धारित राशि जमा करनी पड़ती है।

प्रतिभूति की गारंटी का मुख्य कारण किसानों से कय की गयी उपज के भुगतान नहीं होने की दशा में उक्त राशि से किसानों का भुगतान किया जा सकता है, परन्तु इस व्यवस्था से अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं और एकल लायेंस की संख्या प्रदेश में नगण्य है। क्योंकि, बहुत से बड़े व्यापारी, प्रोसेसर, होल सेलर इत्यादि मंडी में उनकी मांग तथा मंडी में उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर खरीदी करते हैं जो कि स्थाई नहीं होती। इसलिए वह खुद खरीदी नहीं कर उनके चयनित अनुबंधित व्यापारियों के माध्यम से खरीदी करते हैं जो कि मंडी में उनके द्वारा दी गयी मांग, गुणवत्ता, दर इत्यादि पर किसानों से खरीदी कर या तो सीधे उनको कय की गयी उपज उपलब्ध करा देते हैं या उसकी प्रथम चरण ग्रेडिंग करा के उपलब्ध कराते हैं। इस व्यवस्था को और सुधारने के लिए यह विचार किया गया है कि पूरे प्रदेश के लिए एक लायसेंस न्यूनतम शुल्क पर जारी करा दिया जाये और लायसेंसधारी किसी भी मंडी में कभी भी मांग एवं आवश्यकता अनुसार जाकर कय कर सकें। इसके लिए संबंधित एजेन्सी के पास एक लायसेंस होगा तथा वह जिस मंडी में खरीदी करना चाहता है उस मंडी सचिव के पास उतनी राशि पहले से जमा कर सकेगा, जितनी की खरीदी उसको करनी है। यह राशि ऑनलाईन मंडी सचिव के खाते में दिखेगी और संबंधित लायसेंसी व्यापारी सीधे मंडी में उक्त सीमा तक कय की कार्यवाही कर सकता है। उक्त राशि मंडी सचिव की अनुमति/स्वीकृति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी और एक बार संबंधित व्यापारी द्वारा नीलामी में भाग लेकर

कय की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कृषकों के भुगतान तथा मंडी शुल्क के भुगतान उपरान्त शेष राशि संबंधित व्यापारी के खाते में मंडी सचिव द्वारा भुगतान की जा सकेगी। इस संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक जिनका को–ऑपरेटिव बैंक से अनुबंध है, द्वारा इस प्रकार का वॉलेट उपलब्ध कराने की सहमति दी है।

इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना है। कृपया उक्त सॉफ्टवेयर के लिए एक दल बनायें जो इस पर आगामी कार्यवाही कर सॉफ्टवेयर मार्च 2019 अंत तक तैयार कर के भेजे।

8/3/19

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल